संख्या- 15/2020/739/एक-1-2020-रा0-1

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2020

विषय: मेसर्स उ0प्र0 कोरांव ऊर्जा प्रा0 लि0 को 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय किए जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3155/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) यथा संशोधित अधिनियम, 2019 की धारा-89 की उपधारा (3) व उपधारा (4) (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मेसर्स उ0प्र0 कोरांव ऊर्जा प्रा0 लि0 को 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लाण्ट स्थापित किए जाने हेतु ग्राम पूरा लक्षन, घोघी माण्डा व मझगवां, तहसील कोरांव, जनपद प्रयागराज में 80 हे0 भूमि क्रय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) यदि संस्था उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों तथा असंक्रमणीय भूमिधरों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में स्थापित प्राविधानों तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित अधिनियम-2019 की धारा 89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक, मेसर्स उ0प्र0 कोरांव ऊर्जा प्रा0 लि0, ए-26/3 मोहन कापरेटिव स्टेट, नई दिल्ली-110044
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
घनश्याम चतुर्वेदी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।